"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर/17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 294] रायपुर, बुधवार, दिनांक 30 अक्टूबर 2002—कार्तिक 8, शक 1924

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 30 अक्टूबर 2002

अधिसूचना

क्रमांक 3188/2477/22/पं.ग्रा.वि./2002.—मध्यप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (क्र. 28 सन् 2000) की धारा 79 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्द्वारा, निम्नलिखित आदेश बनाती है, अर्थात् :—

आदेश

1. (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम विधियों का अनुकूलन आदेश, 2002 है.

(2) यह 1 नवम्बर, 2000 के प्रथम दिन से संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में प्रवृत्त होगा.

2. समय-समय पर यथा संशोधित ऐसी विधियां जो इस आदेश की अनुसूची में विनिर्दिष्ट है और जो छत्तीसगढ़ राज्य की संरचना के अव्यवहित पूर्व मध्यप्रदेश राज्य में प्रवृत्त थी, एतद्द्वारा तब तक विस्तारित तथा प्रवृत्त रहेंगे जब तक कि वे निरसित या संशोधित न कर दी जाय. उपान्तरणों के अधीन रहते हुए समस्त विधियों में शब्द "मध्यप्रदेश" जहां कहीं भी वे आए हों, के स्थान पर शब्द "छत्तीसगढ़" स्थापित किये जाएं.

3. अनुसूची में विनिर्दिष्ट विधिया के द्वारा या उनके अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए कोई भी बात या की गई कोई कार्रवाई (किसी नियुक्ति, अधिसूचना, सूचना, आदेश, प्रारूप, विनियम, प्रमाण-पत्र या अनुज्ञप्ति को सम्मिलित करते हुए) छत्तीसगढ़ राज्य में लगातार प्रवृत्त रहेगी.

अनुसूची

अनुक्रमांक (1)	विधियों के नाम (2)
1.	मध्यप्रदेश ग्रामीण यांत्रिकी सेवा (राजपत्रित) भर्ती नियम, 1986.
2.	मध्यप्रदेश पंचायत तथा ग्रामीण विकास (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम, 1988.
3.	मध्यप्रदेश विकास आयुक्त, पंचायत एवं ग्रामीण विकास तृतीय श्रेणी भर्ती नियम, 1999.
4.	मध्यप्रदेश पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, चतुर्थ श्रेणी सेवा भर्ती नियम, 1992.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. आर. ठाकुर, संयुक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 30 अक्टूबर 2002

क्रमांक 3189/2477/22/पं. ग्रा. वि./2002.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 3188/2477/22/प.ग्रा.वि./2002, दिनांक 30-10-2002 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. आर. ठाकुर, संयुक्त सचिव.

Raipur, the 30th October 2002

NOTIFICATION

No. 3190/2477/22/ P & RD/2002.—In exercise of the powers conferred by Section 79 of the Madhya Pradesh Re-organisation Act, 2000 (No. 28 of 2000), the State Government hereby makes the following order, namely :—

ORDER

1. (i) This order may be called the Adaptation Order, 2002.

(ii) It shall come into force in the whole State of Chhattisgarh on the 1st day of November, 2000.

2. The Laws as amended from time to time, as specified in the Schedule to this order, which were in force in the State of Madhya Pradesh immediately before the information of the State of Chhattisgarh, are hereby extended and shall be inforce in the State of Chhattisgarh until repealed or amended. Subject to the modification that in the laws for the ~rds "Madhya Pradesh" wherever it occur the word "Chhattisgarh" shall be substituted.

3. Anything done or any action taken (including any appointment, notification, notice, order, form, rule, regulation, certificate or licence) in exercise of the powers conferred by or under the laws specified in the Schedule shall continue to be in force in the State of Chhattisgarh.

SCHEDULE

S. No. (1)	Name of the Laws (2)
1.	Madhya Pradesh Rural Engineering (Gazetted) Service Recruitment Rules, 1986.
2.	Madhya Pradesh, Panchayat & Rural Development (Gazetted) Service Recruitment Rules, 1988.
3.	Madhya Pradesh Development Commissioner, Panchayat & Rural Development, Class-III (Ministerial and Non-Ministerial Service Recruitment Rules, 1999).
4.	Madhya Pradesh Panchayat & Rural Development Department Class-IV Service Recruitment Rules, 1992.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
M. R. THAKUR, Joint Secretary.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2002.